छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण कमांक–M-PRO-2018-00106

श्रीमती सरोज बुधवानी, पति–श्री रमेश बधुवानी,
पता–गुरू विहार कालोनी,
सरकंडा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) ..... आवेदिका

विरूद्ध

कमलाश्री टॉवर्स,
द्वारा भागीदार –श्री सिद्धार्थ गुप्ता,
पता–शिव टाकीज, पुराना हाईकोर्ट रोड,
बिलासपुर (छ.ग.) ..... अनावेदक

(प्रोजेक्ट–कमलाश्री इन्क्लेव, बिलासपुर)

आदेश

(दिनाँक–06/11/2018)

आवेदिका श्रीमती सरोज बुधवानी, पति–श्री रमेश बधुवानी, पता–गुरू विहार कालोनी, सरकंडा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्ररूप–ङ (FORM-M) में अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका का कथन है कि उसने जबड़ापारा, बिलासपुर स्थित "कमलाश्री इन्क्लेव" नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फ्लैट क्रमांक–403 क्रय करने हेतु दिनाँक 19.05.2016 को अनावेदक के साथ अनुबंध निष्पादित किया था। आवेदिका के अनुसार प्रश्नाधीन फ्लैट हेतु कुल 28,10,000/– में सौदा तय हुआ था, जिसके विरूद्ध उसके द्वारा रूपये 20,21,000/– का भुगतान अब तक अनावेदक को किया जा चुका है। आवेदिका का कथन है कि दिनाँक 26.10.2016 को प्रश्नाधीन फ्लैट की रजिस्ट्री भी कराने के बावजूद अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन फ्लैट का निर्माण पूर्ण कर उसे इसका आधिपत्य नहीं सौपा जा रहा है। आवेदिका ने प्रश्नाधीन फ्लैट में हुए कार्य गुणवत्ताहीन होने के कारण उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस लौटाये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् पंजीकृत डाक से नोटिस व दस्तावेज प्रेषित कर सूचित किया गया।

3 सुनवाई के दौरान आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत प्रकरण में परस्पर सहमति से समझौता करने का कथन किया गया। न्यायहित में इस हेतु समुचित अवसर प्रदान करने पर दिनाँक 30.10.2018 को उभय पक्षों द्वारा एक समझौतानामा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि अनावेदक

द्वारा आवेदिका को दिनाँक 01.12.2018 के पूर्व प्रश्नाधीन फ्लैट का स्वामित्व एवं कब्जा सौंप दिया जावेगा। इसमें आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन फ्लैट के निर्माण कार्य से संतुष्ट होने का भी उल्लेख है।

4. प्रकरण के अवलोकन व परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका को प्रस्तुत प्रकरण में वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा समझौतेनामे के अनुसार आवेदिका को वर्तमान में कोई शिकायत नहीं है। प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा होने तथा संयुक्त समझौतानामा निष्पादित किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे।

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर